न्यायालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, डीडवाना–कुचामन

पीठासीन अधिकारी– श्री डॉ0 महेन्द्र खड़गावत, आई.ए.एस.

निगरानी संख्या 01/2024
जी.सी.एम.एस. पोर्टल नम्बर 2024/09

निगरानीकार	बनाम	गैरनिगरानीकार
गणेश नारायण पुत्र स्व0 चैनदास उर्फ चुन्नीलाल, जाति साद रामावत, निवासी दौलतपुरा, तहसील डीडवाना।		1. अशोक कुमार पुत्र स्व0 चैनदास उर्फ चुन्नीलाल 2. सत्यनारायण पुत्र स्व0 चैनदास उर्फ चुन्नीलाल 3. दीपचन्द पुत्र स्व0 चैनदास उर्फ चुन्नीलाल 4. श्याम सुन्दर पुत्र स्व0 चैनदास उर्फ चुन्नीलाल समस्त जाति साद रामावत, निवासीगण दौलतपुरा तहसील डीडवाना। 5. केसर देवी पुत्री स्व0 चैनदास उर्फ चुन्नीलाल पत्नी इन्द्रचन्द स्वामी, निवासी राणासर तहसील कुचामन सिटी। 6. मुन्नी पुत्री स्व0 चैनदास उर्फ चुन्नीलाल पत्नी महेशकुमार, निवासी तोषीणा, तहसील डीडवाना। 7. संतोष पुत्री स्व0 चैनदास उर्फ चुन्नीलाल पत्नी सतीश कुमार, निवासी रोल, तहसील जायल। 8. चम्पा पुत्री स्व0 चैनदास उर्फ चुन्नीलाल पत्नी महावीर प्रसाद, निवासी दलेलपुरा, तहसील नावां 9. भगवती पत्नी स्व0 चैनदास उर्फ चुन्नीलाल, जाति साद रामावत, निवासी दौलतपुरा, तहसील डीडवाना 10. सरपंच, ग्राम पंचायत, दौलतपुरा 11. ग्राम सेवक/पदेन सचिव, ग्राम पंचायत, दौलतपुरा तहसील डीडवाना।

निगरानी विरूद्ध पट्टा संख्या 26/2017 व संकल्प संख्या 02/2017 दिनांक 20.09.2017 ग्राम पंचायत, दौलतपुरा को निरस्त कराने बाबत्।

<u>**निगरानी अन्तर्गत धारा 97 एल.आर.एक्ट**</u>

उपस्थितिः–

1. वकील श्री समंदर सिंह नाथावत निगरानीकार की ओर से।
2. वकील श्री अभिषेक चतुर्वेदी गैरनिगरानीकार की ओर से।

Signature Not Verified
Digitally signed by Mahendra Khadgawat
Date: 2025.11.28 17:41:01 IST
Reason: SelfAttested

–:नि[illegible] **दिनांक :04.08.2025**

निगरानीकार [illegible] ओर से नि[illegible] संक्षेप्त में निम्न प्रकार से है:–

1. निगरानीकार व गै[illegible]संख्या [illegible] 09 स्व0 चैनदास उर्फ चुन्नीलाल के विधिक उत्तराधिकारी व वारिसान है जिनकी वंशावली निम्न प्रकार से है:–

जिला कलक्टर
डीडवाना–कुचामन

जिला कलक्टर डीडवाना–कुचामन

चैनदास उर्फ चुन्नीलाल स्वामी

अशोक कुमार (पुत्र) । दीपचन्द (पुत्र) । केसर देवी (पुत्री) । संतोष (पुत्री) । भगवती (पत्नी)

सत्यनारायण (पुत्र) श्याम सुन्दर (पुत्र) मुन्नी (पुत्री) चम्पा (पुत्री)

2. ग्राम दौलतपुरा के आबादी में एक आवासीय पैत्रिक जायगा मय मकान अवस्थित है तथा यह आबादी जायगा निगरानीकार की पैत्रिक सम्पति है तथा यह जायगा निगरानीकार की संयुक्त शामलाती जायगा है। निगरानीकार का एक पैत्रिक आवासीय मकान भी बना हुआ है तथा समय समय पर उक्त मकान की मरम्मत व रिपेयरिंग व नवनिर्माण भी निगरानीकार/गैरनिगरानीकार संख्या 01 ता 09 की सामलाती रूप से करते आ रहे है, यह आवासीय भूमि निगरानीकार का पिढ़ियों से ही कब्जा व स्वामित्व की रही है। यह आवासीय जायगा किसी भी प्रकार से स्व0 चैनदास उर्फ चुन्नीलाल के वारिसान में बंटी हुई नहीं है। सभी का संयुक्त व शामलाती कब्जा सदैव से रहा है तथा वर्तमान में भी है। तथा उक्त आवासीय जायगा में बिजली का बिल भी 2017 तक चैनदास के नाम था।
3. निगरानीकार स्व0 चैनदास उर्फ चुन्नीलाल के वारिसान है तथा सभी का उपरोक्त पुश्तैनी आवासीय मकान व थाला पर शामलाती कब्जा रहा है। जिसकी प्रत्येक हर इंच भूमि पर अपीलार्थी का हक अधिकार व स्वामित्व रहा है तथा निगरानीकार गणेश नारायण खाने कमाने हेतु वर्ष 1980 से कलकता/आसाम में रहता है तथा वर्तमान में निगरानीकार आसाम में डिफु कारविआलोग में प्राईवेट नौकरी कर रहा है तथा अधिकाशं समय आसाम में ही रहता है तथा प्राईवेट नौकरी में छुट्टी कम मिलने के कारण अपने गांव दौलतपुरा कम ही आ पाता है। निगरानीकार ग्राम दौलतपुरा आता जाता रहता है तथा अपन पुश्तैनी संयुक्त जायगा की देखभाल करता रहता है तथ उपरोक्त निगरानीधीन पट्टे की जायगा में बने मकान में विद्युत कनैक्शन भी निगरानीकार के पिता स्व0 चैनदास उर्फ चुन्नीलाल के नाम से रहा है, जिसे गलत रूप से पट्टा गैरनिगरानीकार संख्या 01 ने गैरनिगरानीकार संख्या 10 व 11 से मिलीभगत कर चुनौतिग्रस्त पट्टा संख्या 26 दिनांक 20.09.2017 अपने नाम जारी करवा कर उक्त विद्युत कनैक्शन को अपने गलत रूप से अपने नाम से जारी करवा लिया।
4. गैरनिगरानीकार संख्या 01 अशोक कुमार होशियार व चतुर व्यक्ति है तथा वह गांव में पैत्रिक आवासीय भूमि में संयुक्त शामलाती आवासीय मकान है तथा निगरानीकार व गैरनिगरानीकार संख्या 01 ता 04 का परिवार ग्राम दपैलतपुरा में ही रहता है तथा निगरानीकार ने अपने पिता चनैदास के द्वारा जो बंटवारा सन् 1992 में किया गया, जो निगरानीकार व गैरनिगरानीकार के पिता द्वारा दिनांक 08.06.1981 में क्रय की गई उस भूमि पर निगरानीकार का परिवार मकान बनाकर रहता है व समय समय पर अपने ग्राम दौलतपुरा आता जाता रहता है तथा अपनी पैत्रिक भूमि जिसका पट्टा गैरनिगरानीकार संख्या 01 ने अपने नाम से बना लिया है की सार सम्भाल करता रहता है।
5. गैरनिगरानीकार संख्या 01 ने ग्राम [illegible] दौलतपुरा व ग्राम सचिव दौलतपुरा गैरनिगरानीकार संख्या 09 व 10 [illegible] की जानकारी नहीं देकर अपने आप को लाभ पहुंचाने [illegible] से निगरानीकार के पिता व दादा की पुश्तैनी व शामलाती भूमि को गलत रूप से अपने अकेले की कब्जा सुदा बता कर गलत रूप

Signature Not Verified
Digitally signed by Mahendra Khadgawat
Date: 2025.11.28 17:41:01 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलक्टर
डीडवाना–कुचामन

जिला कलक्टर डीडवाना–कुचामन सत्यमेव जयते

से फर्जी पट्टा संख्या 26 दिनांक 20.09.2017 को बनवा लिया। निगरानीकार के पूर्वजों की जमीन भी ग्राम पंचायत के नाम की नहीं थी। पट्टा गांम पंचायत ने गैरनिगरानीकार संख्या 01 अशोक कुमार के नाम बनाया है, जिससे व्यथित होकर निगरानीकार की ओर यह निगरानी पट्टा निरस्त करने हेतु निगरानी पेश करते है। जिसके आधार निम्नलिखित हैः–

–:निगरानी के आधारः–

1. योग्य अधीनस्थ न्यायालय ने अभिलेख पर उपलब्ध सामग्री के विपरीत पट्टा अधिन निगरानी जारी करने में कानूनी एवं वाक्याती भूल की है, अतः पट्टा अधिन निगरानी अपास्त किये जाने योग्य है।
2. ग्राम पंचायत दौलतपुरा ने राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1996 के प्रारूप 23 (2) नियम 157 (1) के तहत उक्त पट्टा संख्या 26 दिनांक 20.09.2017 को जारी किया है, जिसमें ग्राम पंचातय ने पंचायत अधिनियम के नियमों व सिद्धान्तों की खलम खुला अवहेलना करते हुए उक्त पट्टा जारी किया गया है। उल्लेखनीय है कि ग्राम पंचायत ने गैरनिगरानीकार संख्या 01 का सत्तर वर्षों से अधिका का पुराना कब्जा बता कर उक्त विवादित पट्टा जारी किया गया है, जबकि गैरनिगरानीकार संख्या 01 निगरानीकार का सगा भाई है, जिसकी उम्र मात्र 38 वर्ष है, जिससे यहा स्पष्ट हो जाता है कि ग्राम पंचायत ने पंचायत नियमों की अवहेलना करते हुये गैरनिगरानीकार संख्या 01 को गलत फायदा पहुंचाने की नियत से प्रलोभन में आकर यह पट्टा जारी किया गया है, जिससे भी यह पट्टा प्रथम दृष्टया ही निरस्त किये जाने योग्य है।
3. निगरानीकार व गैरनिगरानीकार 01 ता 08 के पिता व गैरनिगरानीकार संख्या 09 के पति स्व0 चैनदास उर्फ चुन्नीलाल की मृत्यु दिनांक 26.12.2011 को हो चुकी है। निगरानीधीन पट्टे की भूमि सदैव से संयुक्त व शामलाती स्व0 चेनदास उर्फ चुन्नीलाल स्वामी के सभी पुत्रों की रही है तथा उपरोक्त जायगा स्व0 चेनदास उर्फ चुन्नीलाल स्वामी के जीवकाल से ही संयुक्त रूप से चली आ रही है। फिर भी ग्राम पंचायत दौलतपुरा ने विधि के सिद्धान्तों की अवहेलना करते हुये ग्राम पंचायत अधिनियम कीपालना नहीं करते हुये यह गलत रूप से पट्टा जारी किया गया है, जो कि निरस्त किये जाने योग्य है।
4. गैरनिगरानीकार संख्या 01 अशोक ने ग्राम पंचायत से फर्जी पट्टा प्राप्त करने के लिए दिनांक 16.09.2017 को एक समझौता–पत्र स्टाम्प पर लिखवाया, जिसमें समझौता–पत्र में सभी पांच भाईयों का उल्लेख किया तथा उक्त समझौता–पत्र में गणेश नारायण का भी नाम उल्लेख किया हुआ है तथ उक्त स्टाम्प समझौता–पत्र में गणेश नारायण के कोई हस्ताक्षर नही है तथा ग्राम पंचायत में उक्त गलत व कुटरचित समझौता के आधार पर यह पट्टा जारी करवाया तथा ग्राम पंचायत ने उक्त समझौता–पत्र में गणेश नारायण के कोई हस्ताक्षर नहीं होने के बावजूद भी यह चुनौतीग्रस्त पट्टा गलत रूप से गैरनिगरानीकार को लाभ पंहुचाने के लिए जारी किया गया है, जो विधि विरूद्ध है।
5. वर्ष 1990 से निगानीकार गणेश नारायण प्राईवेट नौकरी आसाम में करता है तथा वह नवम्बर 2022 में आसाम से आकर वह अपने गांव दौलतपुरा में अवस्थित अपनी पैत्रिक जायगा को [illegible] के लिए आया तब गैरनिगरानीकार संख्या 01 ने कहा की उपरोक्त [illegible] मेरी अकेलों की है, स्व0 चेनदास उर्फ चुन्नीलाल [illegible] का [illegible] कोई लेना–देना नहीं है तब गैर निगरानीकार ने [illegible] चाही, परन्तु ग्राम पंचायत

Signature Not Verified
Digitally signed by Mahendra Khadgawat
Date: 2025.11.28 17:41:01 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलक्टर
डीडवाना–कुचामन

जिला कलक्टर डीडवाना–कुचामन

ने कोई जानकारी नहीं दी, फिर निगरानीकार वापस प्राईवेट नौकरी के लिए आसाम चला गया, दिनांक 21.01.2023 को निगदानीकार अपने ग्राम वापस आया, तब उसकी पत्नी ने कहा की विगत सप्ताह ग्राम पंचायत दौलतपुरा ने कुछ कागजाद दिये, निगरानीकार ने उक्त कागजाद देखे तो निगरानीकार को उक्त पट्टा की पहली बार जानकारी हुई तथा पता चली की गैरनिगरानीकार संख्या 01 ने उक्त अवैध पट्टा ग्राम पंचायत दौलतपुरा से गलत प्राप्त कर लिया है। इसी दौरान दिनांक 28 नवम्बर 2023 को निगरानीकार के भाणजे की शादी में व्यस्त रहने तथा पौत्री वंशिका बीमार होने तथा उसके ईलाज करवाने में व्यस्त रहने के कारण तथा इसके पश्चात् निगरानीकार के पुत्र विकास की पत्नी माह नवम्बर 2023 के प्रथम सप्ताह में बीमार हो गई तथा उसका ईलाज अजीतगढ़ सीकर में करवाया तथा निगरानीकार अपने पुत्रवधु के ईलाज में व्यस्त रहा तथा इसी दौरान माह जनवरी 2024 में निगरानीकार के बड़े पुत्र जयप्रकाश की पत्नी बीमार हो गई, जिसको दिनांक 18.01.2024 को रूचिका सुपर स्पेशलिटी हॉस्पीटल एवम् ट्रोमा सेन्टर, सीकर में भर्ती करवाया गया, उसका ऑपरेशन दिनांक 19.01.2024 को किया गया तथा निगरानीकार अपनी पौत्री व पुत्रवधु के ईलाज में इधर–उधर घुमता रहा, जिससे वह स्वयं बीमार हो गया तथा दिनांक 07.0.2024 को निगरानीकार ने सीकर में डॉ0 प्रदीप मिल को दिखाया तथा डॉक्टर ने दवाई लिखी तथा कहा कि आपको रेस्ट करना पड़ेगा, तब आप के स्वास्थ्य में सुधार होगा। निगरानीकार ग्रामीण परिवेश का व्यक्ति होने से कानूनी ज्ञान नहीं के अभाव में तथा अपना व अपने परिवार के ईलाज में व्यस्त रहने से अपने अधिवक्ता से सम्पर्क नहीं कर पाया तथा अब स्वास्थ में सुधार होने से दिनांक 17.02.2023 को अपने अधिवक्ता से सम्पर्क किया तथा यह निगरानी तैयार करवाकर पेश की जा रही है, जिससे निगरानी पेश की जा रही है, जिससे निगरानी पेश करने में हुई देरी क्षमा योग्य व न्याय संगत है। देरी क्षमा हेतु धारा 5 लिमिटेशन का प्रार्थना–पत्र अलग से पेश किया जा रहा है।

अतः निगरानी निगरानीकार पेश कर सादर निवेदन है कि निगरानीकार की निगरानी स्वीकार कर पट्टा संख्या 26/2017 व संकल्प संख्या 02/2017 दिनांक 20.09.2017 ग्राम पंचायत दौलतपुरा को निरस्त करने का आदेश फरमावें।

बहस उभय पक्षकारान सुनी गई। पत्रावली पर उपलब्ध रिकॉर्ड का अवलोकन किया।

पत्रावली में तहसीलदार डीडवाना की रिपोर्ट ली गई। तहसीलदार डीडवाना ने अपने पत्रांक 404 दिनांक 04.08.2025 के द्वारा रिपोर्ट पेश की। तहसीलदार डीडवाना की रिपोर्ट अनुसार पट्टा संख्या 26 में जो नक्शा अंकित किया है उस नक्शे पर सफेद स्याही लगाकर लाईने मिटायी गई है जो पट्टे में संदेह उत्पन्न करता है।

अतः निगरानीकार की निगरानी स्वीकार की जाती है तथा ग्राम पंचायत दौलतपुरा द्वारा जो पट्टा संख्या 26 जारी किया गया है उक्त पट्टा संदेहास्पद होने के कारण ग्राम पंचायत दौलतपुरा द्वारा जारी पट्टा संख्या 26/2017 को निरस्त किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक 04.08.2025 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

04.08.25

Signature Not Verified

Digitally signed by Mahendra Khadgawat
Date: 2025.11.28 17:41:01 IST
Reason: SelfAttested

(डॉ0 महेन्द्र खड़गावत, IAS)
जिला कलक्टर,
डीडवाना–कुचामन

जिला कलक्टर
डीडवाना–कुचामन

जिला कलक्टर
डीडवाना–कुचामन